पत्र- सी-13/908/10(2)/2010
दि0-21-3-2011
E.MAIL

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला विकास अधिकारी,
एटा/कन्नौज,उ0प्र0

विषय:– वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए "06संग्रहीत जिला कार्यालय " के अन्तर्गत छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 30.11.2008 तक के अवशेषों के 40 प्रतिशत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

शासनादेश संख्या– संख्या–207/38–3–2010–1101/2011 दिनांक 28–2–2011(प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये पुर्नविनियोग के माध्यम से प्राप्त तथा जनपदों से प्राप्त समर्पण के आधार पर संलग्न विवरण के कामल संख्या–3 पर आप के जनपद को रूपया 774हजार की धनराशि 40 प्रतिशत एरियर हेतु "06संग्रहीत जिला कार्यालय " में आवंटित की जा रही है

2– यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने के पहले स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो।

4– आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–07–अवशेषों का भुगतान–0701–ग्राम्य विकास विभाग –01–वेतन के नामें डाला जायेगा।

5– आवंटित धनराशि से सर्वप्रथम वित्तीय पर्ष 2010–11 के लिये मात्राकृत किये गये 40प्रतिशत ऐरियर का भुगतान किया जाय।

6— उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि को केन्द्रीय नियन्त्रण रजिस्टर (आयोजनेत्तर पक्ष) के पृष्ठ संख्या—192 पर अंकित कर ली गयी है।

आपसे अनुरोध है कि मासिक व्यय विवरण बी0एम0—4 आगामी माह की 5 तारीख तक इस अनुभाग में निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।

भवदीय,

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांकः—सी— 13 बजट—100(2)/2010—11 तद् दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, एटा/कन्नौज,उ0प्र0
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3— विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग—3
4— संयुक्त सचिव, उ0प्र0शासन, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2
5— मुख्य विकास अधिकारी, एटा/कन्नौज,उ0प्र0
6— गार्ड फाइल हेतु।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रॉक सी– 13 /बजट–100 (2)/2010–11 दिनॉक 31 मार्च,2011

अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–

(धनराशि हजार रूपयें में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	01–वेतन मद में आवंटित धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	कन्नौज	200	1600
2	एटा	574	2455
	राज्य योग	774	
	(रूपये सात लाख चौहत्तर हजार मात्र)		

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।